सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 12, गुरूवार, शाके 1945-अगस्त 03, 2023
Sravana 12, Thursday , Saka 1945- August 03, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2023

संख्या एफ 17 (9) खा.वि./न्याय/94-iv :-राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियत्रंण) आदेश, 1980 के खण्ड 18 के उप-खण्ड (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं केन्द्र सरकार की आज्ञा दिनांक 02.06.2023 एवं 12.06.2023 जिनका प्रकाशन भारत के राजपत्र में क्रमश का.आ. 2423 (अ) तथा का.आ. 2566 (अ) से हुआ के अनुसरण में राज्य सरकार एतदद्वारा किसी थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बडी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता, मिलर, आयातक एवं प्रोसेसर्स की अधिकतम भण्डारण मात्राएँ अधिसूचना में वर्णित समयावधि तक के लिये निम्नानुसार नियत करती हैः-

नाम वस्तु	थोक डीलर	खुदरा डीलर	बडी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता	मिलर	प्रोसेसर्स	आयातक	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. दालों नामितः तूर और उड़द	200 मीट्रिक टन (प्रति दाल)	05 मीट्रिक टन (प्रति दाल)	प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 05 मीट्रिक टन और डिपों में 200 मीट्रिक टन	स्टॉक सीमा विगत 03 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो, होगी।	–	आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नही किया जाएगा।	31 अक्टूबर , 2023 तक
2. गेहूं	3000 टन	प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन	प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपुओं पर 3000 टन	–	वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत, या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा	–	31 मार्च, 2024 तक

					को 2023-24 के शेष महीनो से गुणा करके, जो भी कम हो।		

नोटः-यह अधिसूचना राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू होगी ।

राज्यपाल के आदेश से,
रामस्वरूप,
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।